II/निग०/रीवा/भू.रा./2018/02128

(278)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल खण्डपीठ रीवा, जिला–रीवा

(म0प्र0)

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

श्रीमती प्रभा गौतम पत्नी स्व0 जगदीश गौतम उम्र–44 वर्ष, पेशा–घरूकार्य, निवासी ग्राम/पोस्ट–वीरखाम, तहसील–सेमरिया, जिला–रीवा म0प्र0

.......निगरानीकर्ता/आवेदिका

विरूद्ध

1–राघवेन्द्र तिवारी तनय रघुवंश प्रसाद तिवारी उम्र–47 वर्ष, पेशा–प्रायवेट चिकित्सक निवासी ग्राम/पोस्ट–वीरखाम, तहसील–सेमरिया, जिला–रीवा म0प्र0

2–मु0 माला पत्नी सुरेश तिवारी

3–सुरेन्द्र तिवारी पिता सुरेश तिवारी

4–पुष्कर तिवारी पिता सुरेश तिवारी

तीनो निवासी ग्राम/पोस्ट–वीरखाम, तहसील–सेमरिया, जिला–रीवा म0प्र0

.................गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

प्रस्तुत श्री तरुण कुमार पाण्डेय द्वारा पेश 26-3-18

न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार, तहसील–सेमरिया वृत्त शाहपुर के प्रकरण क0–01/अ12/14–15 आदेश दिनांक 01.07.17 के विरूद्ध निगरानी

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 50 के अधीन निगरानी

निगरानीकर्ता का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:–

1– माननीय न्यायालय से आवेदिका यह निवेदन करती है कि इस प्रकरण को सद्भावी रूप से देखा जाय कि किस तरह एक विधवा को परेशान कर लूट की जा रही है। अवेदिका एक नौजवान विधवा महिला है, जो बहुत ही कम पढ़ी लिखी है और वह दो छोटे–छोटे बच्चे के साथ गांव में रहती है और पति के द्वारा छोड़ी गयी पैत्रिक भूमि पर कृषि कर अपने परिवार का किसी तरह से भरण पोषण करती चली आ रही है और कृषि के अलावा उसके पास कोई आय का साधान नहीं है, लेकिन अनावेदक क0–1 किसी न किसी तरह से आवेदिका की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से विधि विरूद्ध तरीके से कई प्रकरण आवेदिका के विरूद्ध चला रखा है और उन सभी प्रकरणों में अलग–अलग नजरी नक्शा प्रस्तुत कर रखा है, । प्रथमतः धारा 131 के आवेदन में नजरी नक्शा अनुलग्न ''अ'' में जो रास्ता चाहा, आवेदिका की भूमि में जब सफल नहीं हुआ, तो गलत सीमांकन में वही स्थान अतिक्रमित भाग नजरी नक्शा में दिखवा दिया, लेकिन पुलिस नजरी नक्शा में वही भाग आवेदिका का बताया गया है और धारा 250 की कार्यवाही में केवल उसी भाग से 30 फिट का रास्ता बताकर बेदखल करना चाहता है और उसी सीमांकन नजरी नक्शा में अन्य अतिक्रमाक अनावेदक क0–2, 3, 4 क विरूद्ध कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया।

(278)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 02128 जिला–रीवा

श्रीमती प्रभा गौतम / राघवेन्द्र तिवारी

(1)	(2)
18.12.18.	1. आवेदक की ओर से श्री तरूण कुमार पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सेमरिया, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 1/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 01.07.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य